

Format

1. भूमि का प्रकार – आवासीय भूखण्ड (एप्रूव्ड)
2. मौहल्ला/ग्राम स्थित मौजा बाकलपुर, तहसील व जिला मथुरा अन्दरून चन्दा ग्रीन्स रेजीडेंसी
3. सम्पत्ति का विवरण – भूखण्ड संख्या
4. मापन की इकाई : वर्गमीटर
5. सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्गमीटर
6. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) रास्ता 9 मीटर
7. अन्य विवरण (पार्क/कॉर्नर इत्यादि)
8. प्रतिफल की धनराशि/- रुपये
9. स्टाम्प हेतु मालियत/- रुपये
10. स्टाम्प देय/- रुपये का ई स्टाम्प सर्टिफिकेट जो इस प्रलेख के साथ संलग्न है।
11. सरकारी दर भूमि 8000/- रुपये प्रति वर्गमीटर जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं० 20 क्रमांक 128 कोड नंबर 1004 पर दर्ज है।

कार्यक्षेत्र उ० नि० मथुरा द्वितीय

विक्रेता का विवरण

माधव प्रोपर्टीज लि० जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका प्रधान कार्यालय सी-281, ईस्ट एण्ड अपार्टमेंट सरस्वती विहार, सोसायटी नियर अशोक नगर, दिल्ली, पिन-110096, द्वारा डायरेक्टर सोनल अग्रवाल पुत्र श्री कृष्णदयाल अग्रवाल निवासी 8, बृजनगर मथुरा।

पेन नंबर - AAACM0779M, मो० नंबर -

क्रेता का विवरण

जो कि एक कित्ता भूखण्ड पैमाइशी पूरब – मीटर, पश्चिम – मीटर, उत्तर – मीटर, दक्षिण – मीटर कुल क्षेत्रफल. वर्गमीटर जिसकी सीमा यह है।

पूरब –

पश्चिम –

उत्तर –

दक्षिण .-

For Madhav Properties Ltd.

Director

स्थित मौजा बाकलपुर, तहसील व जिला मथुरा अन्दरून चन्दा ग्रीन्स रेजीडेंसी। उक्त भूखण्ड खसरा नंबर 24 की भूमि मे स्थित है। मिल्कियत उपरोक्त विक्रेता कम्पनी की है और जिसकी भूमि को विक्रेता कम्पनी ने बजरिये बैनामा दिनांक 09.06.2017 जिसका निबंधन कार्यालय उप निबंधक मथुरा प्रथम में बही नंबर 1 जिल्द 13252 के पृष्ठ 111 से 126 क्रमांक 6157 पर दिनांक 09.06.2017 पर हुआ मै० वैरीवाल कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा अधिकृत साझीदार कृष्णकान्त गोयल से क्रय किया और सरकारी कागजात माल मे विक्रेता कम्पनी का नाम दर्ज है एवं विक्रेता कम्पनी ही उक्त कालौनी के विकासकर्ता हैं जिन्होने उक्त भूमि की लेबलिंग व फिलिंग सड़क पानी बिजली आदि के सम्पूर्ण विकास कार्य कराये हैं और जिसका विन्यास मानचित्र संख्या MVDA/LD/23-24/0423 दिनांक 16.08.2023 को मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा से स्वीकृत कराकर उसके नियमानुसार उक्त विकास कार्य विक्रेता कम्पनी द्वारा कराये गये हैं जिन कुल विकास कार्यों को क्रेता द्वारा मौके पर देख व समझ लिया है जिससे क्रेता पूर्णतया: सन्तुष्ट है इस प्रकार भूमि विक्रेता कम्पनी के स्वामित्व व आधिपत्य की है। जो भूखण्ड आज तक हर प्रकार के दावे व झगड़े व एक्यूजीशन व एक्यूटेबिल मोरगेज व जमानत कुर्की व नालिश व नीलाम व रहन व विक्रय व इकरारनामा मुहायदा बै आदि से कतई मुक्त व पाक साफ है। लिहाजा विक्रेता कम्पनी ने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के अपने अपने लाभार्थ उक्त भूखण्ड को समस्त अधिकारों सहित जो उसकी बाबत विक्रेता कम्पनी को प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों बिना विक्रेता कम्पनी ने अपने पास रखे या छोड़े किसी भी हक व अधिकार के फ्रीहोल्ड व गुड टाईटिल के साथ व एवज/— में बहक को बै कतई कर दिया और बेच दिया और मूल्य का कुल रूपया क्रेता से निम्न भांति पाकर बेचे गये भूखण्ड से विक्रेता कम्पनी ने अपना कब्जा वास्तविक व मालकाना समाप्त कर क्रेता का वास्तविक व मालकाना आधिपत्य करा दिया। क्रेता एक मात्र स्वामी भूखण्ड का हो गया। जिसकी बाबत वह कुल अधिकारात मालकाना व काविजाना व हस्तान्तरण आदि के अपने प्रयोग में लावे और एक मात्र स्वामी के रूप में क्रेता भूखण्ड को चाहे जैसे इस्तेमाल करें, क्रेता बहैसियत स्वामी अपने रिहायशी उपयोग में लावे उससे लाभान्वित हो, यानि भूखण्ड का क्रेता निम्न प्रतिबन्धों की पाबन्दी के साथ खुद जो चाहे सो करे अब विक्रेता कम्पनी को बेची गयी भूमि से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न आयन्दा भविष्य में कदापित होगा। यदि बेची गई भूमि की बाबत कभी कोई विवाद मिल्कियत सम्बन्धी पैदा हो या कब्जा क्रेता से निकल जावे या ऋण, जमानत, देनदारी का भार पाया जावे और उसके कारण क्रेता को कुछ खर्च करना पड़े या अदा करना पड़े तो कुल की अदायगी व जबाबदेही की जिम्मेदारी मय जर समन व जर लागत सूद आदि के सब विक्रेता कम्पनी व उसकी चल अचल सम्पत्ति के जिम्मे होगा। क्रेता वह सब हस्व जाब्ता वसूल कर ले। जिसमें विक्रेता कम्पनी को कभी कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी। चूंकि विक्रेता कम्पनी ने उक्त भूखण्ड को एक आवासीय भूखण्ड के रूप मे विकसित कर मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा से स्वीकृत कराया है अतः क्रेता उक्त भूखण्ड को केवल आवासीय भूखण्ड के रूप में प्रयोग में ला सकेगा। कोई पशु रख या पाल न सकेगा और उसमें ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो कानूनी रूप से असामाजिक हो या किसी भी प्रकार का प्रदूषण व गन्दगी हो या अन्य भूमि धारकों को भी किसी भी प्रकार की असुविधा हो उक्त भूखण्ड के गुड टाईटिल की जिम्मेदारी विक्रेता कम्पनी की है व भविष्य में भी होगी।

उक्त कालौनी एक बड़ी कालौनी है जिससे भविष्य के रख रखाव व भविष्य में कराये जाने वाले विकास कार्यों की जिम्मेदारी कालौनी के वर्तमान व भविष्य के भूस्वामी द्वारा संयुक्त रूप से होगी। जिससे सम्बन्धित सभी व्यय अनुपातिक रूप मे उनके द्वारा वहन किये जावेंगे। विक्रेता कम्पनी को उस कुल के लिये कभी भी उत्तरदायी कायम नहीं किया जा सकेगा। जिन सभी कार्यों को क्रेता व विक्रेता कम्पनी द्वारा गठित एक संस्था कायम कर किया जावेगा। जिसके निर्धारित सालाना/मासिक शुल्क की अदायगी करने को क्रेता बाध्य होगा। विक्रेता कम्पनी, कम्पनी की ओर से पारित प्रस्ताव दिनांकद्वारा डायरेक्टर

कम्पनी सोनल अग्रवाल को कम्पनी की ओर से विक्रय पत्र निष्पादन मूल्य का रूपया प्राप्ती आदि के सभी अधिकार प्राप्त हैं। खरीदार क्रय किये गये प्लाट की सड़क से डी0पी0सी0 की ऊंचाई 18-24 इंच रहेगी कम्पनी के मकानों की ऊंचाई के बराबर रख सकेगा।

विवरण मूल्य के रूपयों की प्राप्ति का:

लिहाजा यह विक्रय पत्र वखुशी राजी खूब सोच समझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक

टाईप किया :

ड्राफ्ट किया :

For Madhavi Properties Ltd.
Director